रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092025-265881
CG-DL-E-02092025-265881

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 550] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 1, 2025/भाद्र 10, 1947
No. 550] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 1, 2025/BHADRA 10, 1947

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 594(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्टाफ कार चालक पद (समूह 'ख' और समूह 'ग') भर्ती नियम, 2018 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1).- इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्टाफ कार चालक पद (समूह 'ख' और समूह 'ग') भर्ती संशोधन नियम, 2025 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्टाफ कार चालक पद (समूह 'ख' और समूह 'ग') भर्ती नियम, 2018 की अनुसूची में, -

   (क) स्टाफ कार चालक (विशेष श्रेणी) के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने, -

   (i) "प्रोन्नति" शीर्षक के अधीन, स्तंभ (11) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29200-92300 रु) में ऐसे स्टाफ कार चालक (श्रेणी-1) जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ii) "प्रोन्नति" शीर्षक के अधीन, स्तंभ (11) में, 'टिप्पण 1 और टिप्पण 2' का लोप किया जाएगा और 'टिप्पण 3' 'टिप्पण' के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा;

(ख) स्टाफ कार चालक (श्रेणी-1) के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के सामने, -

(i) स्तंभ (10) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ii) "प्रोन्नति" शीर्षक के अधीन, स्तंभ (11) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25500-81100 रु) में ऐसे स्टाफ कार चालक (श्रेणी-2) जिन्होने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की है या स्टाफ कार चालक (श्रेणी-2) और स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) में पंद्रह वर्ष की संयुक्त सेवा की है" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(iii) "प्रोन्नति" शीर्षक के अधीन, स्तंभ (11) में, -

(क) 'टिप्पण 1 और टिप्पण 2' का लोप किया जाएगा;

(ख) 'टिप्पण 3' इसके टिप्पण 1 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित टिप्पण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"टिप्पण 2: इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर पोषक पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता समान बनी रहेगी";

(iv) "प्रोन्नति" शीर्षक के अधीन, स्तंभ (11) में, टिप्पण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"प्रतिनियुक्तिः

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के अधिकारी, -

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25500-81100 रू) में ऐसे स्टाफ कार चालक (श्रेणी-2) जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की है।

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है, अर्थात्:-

(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण;

(ii) मोटरकार के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो;

(iii) मोटर तंत्र का ज्ञान हो (अभ्यर्थी को यान में छोटी-मोटी त्रुटियों को दूर करने में सक्षम होना चाहिए);

(iv) हल्के मोटर यान या भारी मोटर यान के चालन में तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।";

(ग) स्टाफ कार चालक (श्रेणी-2) के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 3 के सामने, -

(i) "प्रोन्नति" शीर्षक के अधीन, स्तंभ (11) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200 रु) में ऐसे स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) जिन्होंने उस श्रेणी में नौ वर्ष की नियमित सेवा की हो" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ii) "प्रोन्नति" शीर्षक के अधीन, स्तंभ (11) में, -

(क) 'टिप्पण 1 और टिप्पण 2' का लोप किया जाएगा;

(ख) 'टिप्पण 3' इसके टिप्पण 1 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित टिप्पण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"टिप्पण 2: इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर पोषक पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता समान बनी रहेगी।";

(घ) स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 4 के सामने, -

(i) स्तंभ 6 में, विद्यमान टिप्पण के स्थान पर, "आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए" टिप्पण रखा जाएगा;

(ii) "प्रोन्नति" शीर्षक के अधीन, स्तंभ (11) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "(i) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19900-63200 रु) में ऐसे सवार हरकारा (नियमित आधार पर) और (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 (18000-56900 रू) में ऐसे अन्य समूह 'ग' कर्मचारी जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो और जो स्तंभ (7) के अधीन विनिर्दिष्ट अहर्ताएं रखते हों" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(iii) "प्रोन्नति" शीर्षक के अधीन, स्तंभ (11) में, -

(क) "टिप्पण 1 और टिप्पण 2" का लोप किया जाएगा;

(ख) 'टिप्पण 3' इसके टिप्पण 1 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित टिप्पण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"टिप्पण 2: इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर पोषक पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता समान बनी रहेगी।"

[फा.सं 01(02)/2024-का.III]

अमितेश कुमार सिन्हा, अपर सचिव

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र, आसाधारण भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा. का. नि. 1031 (अ) तारीख 9 अक्तूबर, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2025

G.S.R. 594(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Electronics and Information Technology, Staff Car Drivers posts (Group 'B' and Group 'C') Recruitment Rules, 2018, namely: -

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Electronics and Information Technology, Staff Car Drivers posts (Group 'B' and Group 'C') Recruitment Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Electronics and Information Technology, Staff Car Drivers posts (Group 'B' and Group 'C') Recruitment Rules, 2018, in the Schedule, –

(a) against serial number 1, relating to the post of Staff Car Driver (Special Grade), –

(i) in column (11), under the heading "Promotion", for the existing entries, the entries "Staff Car Driver (Grade-I) in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) with three years regular service in the grade" shall be substituted;

(ii) in column (11), under the heading "Promotion", the 'Note 1 and Note 2' shall be omitted and 'Note 3' shall be renumbered as 'Note';

(b) against serial number 2, relating to the post of Staff Car Driver (Grade I), –

(i) in column (10), for the existing entries, the entries "By promotion, failing which by deputation" shall be substituted;

(ii) in column (11), under the heading "Promotion", for the existing entries, the entries "Staff Car Driver (Grade-II) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with six years regular service in the grade or with a combined service of fifteen years in Staff Car Driver (Grade-II) and Staff Car Driver (Ordinary Grade)" shall be substituted;

(iii) in column (11), under the heading "Promotion", –

(a) the 'Note 1 and Note 2' shall be omitted;

(b) 'Note 3' shall be renumbered as Note 1 thereof and after Note 1 as so renumbered, the following Note shall be inserted, namely: -

"Note 2: The eligibility shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on a regular basis on the date of notification of these rules";

(iv) in column (11), under the heading "Promotion", after Note 2, the following entries shall be inserted, namely: –

"Deputation:

Officer of the Central Government or State Government or Union territory Administrations, –

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) Staff Car Driver (Grade-II) in Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with six years regular service in the grade.

(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely: –

(i) matriculation pass from a recognised Board;

(ii) possession of a valid driving license for motor cars;

(iii) knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor defects in vehicle);

(iv) experience of driving light motor vehicle or heavy motor vehicle for three years.

Note 1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or in some other organization or department of Central Government shall not ordinarily exceed three years.

Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.";

(c) against serial number 3, relating to the post of Staff Car Driver (Grade II), –

(i) in column (11), under the heading "Promotion", for the existing entries, the entries "Staff Car Driver (Ordinary Grade) in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) with nine years regular service in the grade" shall be substituted;

(ii) in column (11), under the heading "Promotion", –

(a) the 'Note 1 and Note 2' shall be omitted;

(b) 'Note 3' shall be renumbered as Note 1 thereof and after Note 1 as so renumbered, the following Note shall be inserted, namely: -

"Note 2: The eligibility shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on a regular basis on the date of notification of these rules.";

(d) against serial number 4, relating to the post of Staff Car Driver (Ordinary Grade), –

(i) in column (6), for the existing note, the note "The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission" shall be substituted;

(ii) in column (11), under the heading "Promotion", for the existing entries, the entries "(i) Dispatch Riders (on regular basis) in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) and (ii) other Group 'C' employees in level-1 in

the pay matrix (Rs. 18000-56900) with three years regular service in the Ministry of Electronics and Information Technology and possessing the qualifications specified under column (7)" shall be substituted;

(iii) in column (11), under the heading "Promotion", –

(a) the "Note 1 and Note 2" shall be omitted;

(b) 'Note 3' shall be renumbered as Note 1 thereof and after Note 1 as so renumbered, the following Note shall be inserted, namely: –

"Note 2: The eligibility shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on a regular basis on the date of notification of these rules".

[[F.No. 01(02)/2024-Pers.III]

AMITESH KUMAR SINHA, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 1031(E), dated the 9th October, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.09.02 14:35:34 +05'30'